न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 12/2025 GCMS No.—2025/27

श्रीनारायण उर्फ श्योनारायण पुत्र श्री चौथू आयु 45 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम सुखदेव पुरा उर्फ नोहरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. जमना देवी पत्नी श्री मूलचन्द जाति मीना, आयु 62 वर्ष निवासी प्लाट नंबर 81/58 प्रताप नगर, सांगानेर, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, कार्यालय तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

............रेस्पाडेन्टस

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.01.2013 तहसीलदार सांगानेर ने नामान्तकरण संख्या 64 ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा, तहसील सांगानेर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 10.12.2012 में विक्रित भूमि 914 वर्गमीटर की बजाय सम्पूर्ण हिस्सेका नामान्तकरण गलत तरीके से स्वीकृत किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री अशोक शर्मा रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 05.03.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 30.01.2013 जिससे नामान्तरकरण संख्या 64 ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा स्थित कृषि भूमि का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.01.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रति पर पत्रावली उभय पक्ष अधिवक्ता की सहमति से पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट की ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा स्थित कृषि भूमि का जरिये विक्रय पत्र दिनांक 10.12.2012 को अपने हिस्से की 1766 वर्गमीटर भूमि में से 914 वर्गमीटर भूमि का बेचान रेस्पा0 संख्या 1 को किया गया एवं सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली गयी थी। अपीलांट द्वारा रेस्पा0 संख्या 1 को बेचानशुदा भूमि का कब्जा रेस्पा0 संख्या 1 को मौके पर सम्भला दिया था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 64 से त्रुटिवश अपीलांट के सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तकरण रेस्पा0 संख्या 1 के नाम से तस्दीक कर दिया गया जिसके आधार पर उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रविष्टी के आधार पर राजस्व जमाबंदी में अपीलांट का नाम हटाकर सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पा0 संख्या 1 के नाम से दर्ज कर दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट ने अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हे। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वार निर्णित नामान्तकरण संख्या 64 दिनांक 30.01.2013 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा अपीलांट के हिस्से की भूमि 1766 वर्गमीटर में से 914 वर्गमीटर का विकय पत्र अनुसार कय किया है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति प्रदान करते हुए कथन किया कि रेस्पा0 संख्या 1 को अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विकय पत्र के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता एवं पैरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति, विकय पत्र का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद मानी जाती है। अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा रजि. विकय पत्र में बेचान की गयी भूमि के अनुसार अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रजि0 विकय पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट द्वारा रेस्पा0 संख्या 1 को अपने हिस्से की भूमि 1766 वर्गमीटर में से 914 वर्गमीटर भूमि का बेचान रेस्पा0 संख्या 1 को किया गया है जबकि अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलांट के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का रेस्पा0 संख्या 1 के नाम तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार सांगानेर का आदेश दिनांक 30.01.2013 बाबत नामान्तरकरण संख्या 64 वाके ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा, तहसील सांगानेर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड (**Remand**) किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को विधिवत नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, उभय पक्षकारान को साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर, रजि0 विकय पत्र दिनांक 10.12.2012 का भलीभांति अवलोकन कर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर